न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर ﴾मध्य प्रदेश﴿

﴾ समक्ष- सर्किट कोर्ट रीवा ﴿

55

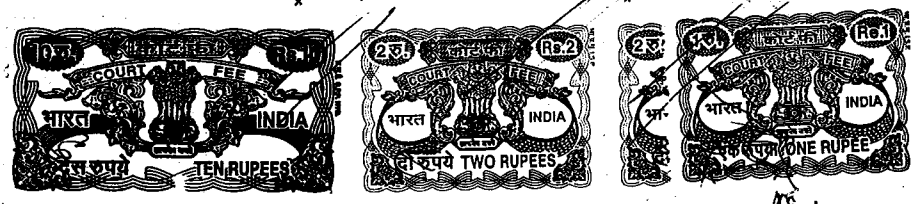

666 16/X/12

R-4175-II/12

c.f. Rs. 15

1. राजमणि दुवे तनय जगदेव प्रसाद , निवासी ग्राम- अटरा खुर्द, तह0 मऊगंज जिला रीवा ﴾म0प्र0﴿

2. मंगलदीन तनय माधव प्रसाद, निवासी ग्राम- अटरा खुर्द, तह0 मऊगंज, जिला रीवा ﴾म0प्र0﴿

3. रामप्रकाश दुवे तनय सरयू प्रसाद ,निवासी ग्राम- अटरा खुर्द, तह0 मऊगंज, जिला रीवा ﴾म0प्र0﴿ ....: निगरानीकर्तागण

बनाम

मोतीलाल दुवे तनय वीरभान, निवासी ग्राम- अटरा खुर्द, तह0 मऊगंज जिला रीवा ﴾म0प्र0﴿ ....गैरनिगरानीकर्ता

अधिवक्ता श्री ... निगरानी द्वारा प्रस्तुत। दिनांक 16.10.12

16/X/12

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तह0 मऊगंज जिला रीवा ﴾म0प्र0﴿ के प्रकरण क्रमांक- 56/अ12/09-10 में पारित असीमांकन पुष्टीकरण आदेश दिनांक 31/7/2010

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू.रा.सं.

महोदय,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निगराधीन आदेश दिनांक 31/7/10 विधि , प्रक्रिया एवं स्थापित नियमो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2. यह कि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि खसरा क्रमांक-17 रकवा 0.388 हे. एवं खसरा क्रमांक- 35 रकवा 0.049 हे. स्थित ग्राम अटरा खुर्द तह0 मऊगंज जिला रीवा ﴾म0प्र0﴿ का सीमांकन करवाये जाने, बावत अदिनांकित आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस आवेदन पत्र में उसके द्वारा यह स्पष्ट नही किया गया कि उपरोक्त दोनों

(54)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी–4175–तीन/2012 **जिला–रीवा**

स्थान तथा दिनांक	महेन्द्र प्रसाद कार्यवाही तथा आदेश [redacted]	पक्ष कारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–9–2015	आवेदक की ओर से श्री अशोक तिवारी अभिभाषक उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को सुना गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमों में अंकित है । निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों के अनुसार प्रकरण का संक्षिप्त सारांश यह है कि अनावेदक द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि कमांक–17 एवं 35 का सीमांकन कराये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । सीमांकन आवेदन पत्र पर कार्यवाही के दौरान दिनांक–1.6.10 सूचना पत्र जारी किया जाना उल्लेखित है । सूचना पत्र पर रामसेवक के हस्ताक्षर है अन्य किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है साथ आवेदक के भी हस्ताक्षर नहीं है सूचना पत्र में अंकित व्यक्तियों के नाम के सामने अंकित है कि मौके पर उपस्थित थे किन्तु हस्ताक्षर करने से मना किया गया । आवेदक अधि. द्वारायह भी बताया गया कि दिनांक–1.6.10 को किया गया सीमांकन आवेदक की अनुपस्थिति में किया गया है तथा अन्य सीमावर्ती कृषको को भी सीमांकन की सूचना नहीं दी गयी है । इस प्रकार एक पक्षीय सीमांकन की कार्यवाही की गयी है, जो अवैधानिक होकर विधि विपरीत है । निगरानी ग्राहय करने का निवेदन कियागयाहै । उपरोक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय के सीमांकन संबंधी अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया । जिनके अवलोकन से उक्त तथ्यों की पुष्टि होती है । उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक–31.7.10 विधि विरूद्ध एवं सहज न्याय की प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किया जाता है । प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि पुनः समस्त सरहदी कृषको सहित आवेदक को विधिवत सूचना पत्र जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए हितवद्ध व्यक्तियों की उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही करें । उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हो । सदस्य	